



कर्मचारी चयन आयोग/ Staff Selection Commission
वेबसाइट/Website: www.ssc.gov.in
हेल्पलाइन नम्बर/Helpline No: 1800-309-3063
ई-मेल आई डी/Email Id: helpdesk-ssc@ssc.nic.in

Zone: WR


ई-प्रवेश प्रमाणपत्र / e-ADMISSION CERTIFICATE

सीएपीएफ और एसएसएफ में कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी), असम राइफल्स में राइफलमैन और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में सिपाही परीक्षा, 2025
Constable (GD) in Central Armed Police Forces (CAPFs) and SSF, Rifleman (GD) in Assam Rifles, and Sepoy in Narcotics Control Bureau Examination, 2025

अनुक्रमांक Roll Number	7202038696	रजि. सं. Registration No	10019914271	
परीक्षा के लिए पासवर्ड Password for Examination	15062004	भाषा Language	Marathi	
प्रतिपूरक समय के लिए पात्रता Eligible for Compensatory Time	NA	पहचान के निशान Identification Mark	MOLE ON FACE	
उम्मीदवार का नाम / Candidate's Name	उम्मीदवार का नया नाम / Candidate's New Name	लिंग/ Gender		
GADHAVE OM VITTHAL		Male		
जन्म तिथि / Date of Birth	ब्रेणी / Category	विषय / Subject	स्क्राइब विकल्प / Scribe Option	
15/06/2004	ST	NA	NA	

उम्मीदवार का पता / Candidate's Address

AT MALEGAON TQ MEHKAR Buldhana 443304 - Maharashtra



7202038696

परीक्षा की तिथि और समय / Date & Time of Examination	उपस्थित होने का समय / Reporting Time	प्रवेश बंद होने का समय / Entry Closing Time
20/02/2025 (Shift-I) 09:00 AM to 10:00 AM	07:45 AM	08:30 AM

परीक्षा केन्द्र / Examination Venue

8567 - iON Digital Zone Chikalthana, E-50 Besides CTR Manufacturing Industries Limited, Near Chikalthana MIDC Police Station, MIDC Industrial Area, Chikalthana, Chhatrapati Sambhaji Nagar, Maharashtra, India, 431006

(परीक्षा स्थल पर निरीक्षक की उपस्थिति में भरा जाना है)/(TO BE FILLED IN THE EXAMINATION VENUE IN THE PRESENCE OF INVIGILATOR)

लॉगिन के पश्चात कंप्यूटर स्क्रीन पर "Other Important Instructions" में लिखे प्रमाणन व्यक्तियों को अपनी हस्तांकिति में लिखें और अपने हस्ताक्षर करें।

After login, write the certification statement shown on Computer Screen under "Other important instructions" in your own hand writing and put your signature

कृपया अपनी माता का नाम लिखें/
Please write your Mother's Name

(केंद्र पर्यवेक्षक के सील/हस्ताक्षर) (Seal/Signature of Venue Head)	(उम्मीदवार के हस्ताक्षर) (Signature of the Candidate) (आवेदन पत्र पर किये गये हस्ताक्षर के समान) (in same style as in application form)	उम्मीदवार के बाएँ हाथ के अंगूठे का निशान Left Hand Thumb Impression of the Candidate	निरीक्षक का नाम एवं हस्ताक्षर Name & Signature of the Invigilator
--	--	---	--

अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश / IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR THE CANDIDATES

If in case of any query, please contact.

Region: Western Region

Phone: 022-2201 8866, 22019118

Email: examinquirysscwr@gmail.com

1. अभ्यर्थी को एक मूल फोटो पहचान पत्र लाना चाहिए जिसमें जन्मतिथि (तिथि, माह और वर्ष सहित) वही हो, जैसी कि प्रवेश प्रमाण पत्र पर मुद्रित किया गया है। Candidate must carry an original photo identity card having the same Date of Birth (including Date, Month & Year) as printed on the Admission Certificate.
2. यदि फोटो पहचान पत्र में वही जन्मतिथि (तिथि, माह और वर्ष सहित) नहीं है जैसी कि प्रवेश पत्र में उल्लिखित है, तो अभ्यर्थी को अपनी जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में एक अतिरिक्त प्रमाण पत्र (मूल रूप में) अवश्य लाना होगा। If photo identity card does not have the same Date of Birth (including Date, Month & Year) as mentioned in the admission certificate then the candidate must carry an additional certificate (in original) as proof of his/her Date of Birth.
3. प्रवेश प्रमाण पत्र और फोटो आईडी / जन्मतिथि के समर्थन में लाए गए प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्मतिथि में मेल न होने की स्थिति में, अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। In case of mismatch in the Date of Birth mentioned in the Admission Certificate and photo ID/the certificate brought in support of Date of Birth, the candidate will not be allowed to appear in the examination.
4. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर आने से पहले प्रवेश-पत्र पर कुछ भी न लिखें, अन्यथा आपको परीक्षा स्थल पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। उम्मीदवारों को पहली बार लॉगिन करने के बाद ही प्रवेश-पत्र के निश्चित स्थान पर, निरीक्षक की उपस्थिति में लिखना होगा। Candidates are advised "Not" to write anything on the Admission Certificate before coming to the exam venue, otherwise your entry will not allowed to the exam venue. The candidates will be required to write in the required space on the Admission Certificate in the invigilator's presence only after the 1st login.
5. अपने प्रवेश पत्र को लेकर अत्यंत सावधानी बरतें। बारकोड क्षेत्र को विकृत करने, मोड़ने या हानि पहुंचाने से बचें। Treat your Admission Certificate with utmost care. Avoid distorting, folding or damaging the barcode area.

Composition of Computer Based Examination

Part	Subject	Number of Questions	Maximum Marks	Duration/Time Allowed
Part-A	General Intelligence and Reasoning	20	40	60 minutes
Part-B	General Knowledge and General Awareness	20	40	
Part-C	Elementary Mathematics	20	40	
Part-D	English/ Hindi	20	40	

कृपया निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। यद्यपि, इन्हें परीक्षा स्थल पर ले जाने की आवश्यकता नहीं है।

Please read the instructions carefully. However, the same need not to be carried into the examination venue.

अधिकारियों के लिए सामान्य निर्देश / GENERAL INSTRUCTIONS FOR THE CANDIDATES

1. अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे ई-प्रवेश प्रमाणपत्र सह आयोग की प्रतिलिपि में निर्दिष्ट रिपोर्टिंग / प्रवेश समय के समक्ष दर्शाएं गए टाइम स्लॉट के अनुसार परीक्षा स्थल पर पहुंचे।
The candidates are advised to reach the venue of examination as per the time slot indicated against Reporting/ Entry time in the e-Admission Certificate.
2. अधिकारी ध्यान दें कि परीक्षा स्थल में प्रवेश करने के समय की समाप्ति के पश्चात द्वारा बंद कर दिए जाएंगे तथा किसी भी परिस्थिति में किसी भी अधिकारी को परीक्षा स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
Candidates must note that after the entry closing time, gates will be closed and no candidate will be allowed to enter the examination venue under any circumstance.
3. अधिकारी परीक्षा के लिए रिपोर्टिंग के समय सैदैव निम्नलिखित अपने साथ लाएं :
Candidates should invariably bring the following at the time of reporting for the examination:
 - (a) प्रवेश-पत्र
Admission Certificate
 - (b) स्पष्ट फोटो वाला मूल रूप में कम से कम एक फोटोयुक्त वैध पहचान प्रमाण (अपेक्षित फोटो पहचान-प्रमाण जैसे कि 1. पासपोर्ट, 2. आधार कार्ड / ई आधार का प्रिंट आउट, 3. ड्राइविंग लाइसेंस, 4. केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/सर्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा कर्मचारियों को जारी किया गया सेवा पहचान-पत्र, 5. विश्वविद्यालय / कॉलेज / स्कूल द्वारा जारी किया गया पहचान-पत्र, 6. मतदाता पहचान-पत्र , 7. पैन कार्ड, 8. रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया भूतपूर्व सैनिक निर्मुक्ति पुस्तक, 9. केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान प्रमाण) ।
At least one valid photo bearing identity proof in ORIGINAL with clear photograph (Eligible photo identity proofs such as 1. Passport, 2. Aadhaar Card/Print out of e-Aadhaar, 3. Driving License, 4. Service ID Card issued to employees by Central Govt./State Govt./ PSUs, 5. ID Card issued by University/College/School 6. Voter's ID Card, 7. PAN Card, 8. Ex-Servicemen Discharge Book issued by Ministry of Defence, 9. Any other Photo Identity Proof issued by Central Govt./ State Govt.).
 - (c) यदि फोटो पहचान पत्र पर पूर्ण जन्मतिथि अंकित नहीं है, तो उम्मीदवार को अपनी जन्म-तिथि के साक्ष के रूप में एक अतिरिक्त मूल दस्तावेज लाना होगा जिसमें जन्म तिथि वही हो जो प्रवेश-पत्र में अंकित है (जैसे- सीबीईएसई/आईसीएसई/राज्य बोर्ड द्वारा जारी 10वीं कक्षा का प्रवेशपत्र/पास प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र; जन्म प्रमाण-पत्र, श्रेणी प्रमाण-पत्र)। यदि प्रवेश प्रमाण-पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि और जन्मतिथि के समर्थन में लाए गए फोटो पहचान पत्र/प्रमाण पत्र में लाए गए फोटो साथ हैं तो अधिकारी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
If the Photo Identity Card does not contain the complete Date of Birth, then the candidate must carry an additional original document having the Date of Birth as printed on the Admission Certificate (e.g. Admission Certificate/ Pass Certificate/ Marks Sheet of 10th Class issued only by CBSE/ ICSE/ State Boards; Birth Certificate, Category Certificate etc. issued only by Central Govt. / State Govt. / PSUs). In case of a mismatch in the Date of Birth mentioned in the Admission Certificate and Photo ID Proof/ the Certificate brought in support of Date of Birth, the candidate will not be allowed to appear in the examination.
 - (d) अधिकारी अपनी पानी की बोतल ला सकते हैं, बर्तन के बोतल पारदर्शी हो।
Candidate can bring their own water bottle provided the bottle is Transparent
4. परीक्षा अधिकारियों की अनुमति के बिना किसी भी अधिकारी को किसी भी कारण से परीक्षा समाप्त होने के समय से पहले परीक्षा लैब को छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि अधिकारी परीक्षा अधिकारियों की अनुमति के बिना लैब छोड़ देता है, तो उसे परीक्षा लैब में फिर से प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसकी अधिकारीता रद्द कर दी जाएगी।
No candidate will be allowed to leave the examination lab before the completion of the examination time for any reason without permission from the exam Functionaries. Once a candidate leaves the lab without the permission of the exam functionaries, he/she shall not be allowed to re-enter the examination lab and his/her candidature shall be cancelled.
5. अधिकारियों को प्रवेश प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट स्थल पर ही परीक्षा में बैठने की अनुमति होगी।
Candidates shall be permitted to appear in the exam only at the venue as specified in the Admission Certificate.
6. अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे कम से कम एक दिन पहले परीक्षा स्थल पर जाएं ताकि वे परीक्षा की तारीख को समय पर परीक्षा स्थल पर पहुंच सकें।
Candidates are advised to visit the exam venue at least one day in advance so that they can reach the examination venue on the date of exam in time.
7. अधिकारियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे एक से अधिक बार परीक्षा में उपस्थित न हों। अन्यथा ऐसे अधिकारियों की अधिकारीता रद्द कर दी जाएगी और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।
Candidates must ensure that they do not appear in the examination more than once. Otherwise candidature of such candidates would be cancelled and appropriate action will be taken against them.
8. अधिकारियों की अधिकारीता पूरी तरह से अस्थायी है। अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि वे सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि कोई अधिकारी पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो उसकी अधिकारीता रद्द कर दी जाएगी।
Candidature of candidates is purely provisional. It is advised that candidate must ensure that they fulfil all the eligibility conditions. If at any stage, it is found that a candidate does not meet the eligibility conditions, his/her candidature shall be cancelled.
9. परीक्षा लैब में निषिद्ध वस्तुएं, जैसे- घड़ी, किटाबें, पेन, पेपर चिट, पत्रिकाएं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स (मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, हेड फोन, पेन / बटनहोल / स्पाई कैमरा, स्कैनर, कैलकुलेटर, स्टरेज डिवाइस आदि) लाने की सख्त मानहीं है।। यदि परीक्षा लैब में किसी अधिकारी के पास ऐसी कोई वस्तु पाइ जाती है, तो उसकी अधिकारीता रद्द की जा सकती है और उसके खिलाफ कानूनी / आपराधिक कार्रवाई शुरू की जा सकती है। मौजूदा नियमों के अनुसार, वह भविष्य में आयोग की आयोजित होने वाली परीक्षाओं में उपस्थित होने से बचित होने के लिए उत्तरदायी होगा/होगी।
Prohibited items such as watches, books, pens, paper chits, magazines, electronic gadgets (mobile phones, Bluetooth devices, head phones, pen/ buttonhole/ spy cameras, scanner, calculator, storage devices etc) are strictly not allowed in the examination lab. If any such item is found in the possession of a candidate in the examination lab, his/her candidature is liable to be cancelled and legal/criminal proceedings could be initiated against him/her. He/she would also be liable to be debarred from appearing in future examinations of the Commission as per extant rules.
10. अधिकारियों को नोज़-पिन, कंगन, झुमके, चार्म्स (charms), कड़ा आदि जैसी वस्तुओं को पहनने से बचना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को धर्म/रीति-रिवाजों के कारण विशिष्ट पोशाक पहनने की आवश्यकता होती है, तो उनकी तलाशी में अधिक समय लग सकता है और इसलिए अधिकारियों को परीक्षा स्थल पर जल्दी रिपोर्ट करना चाहिए।
Candidates should avoid wearing items like nose pins, bracelets, earrings, charms, kadas etc. In case, religion/ customs require candidates to wear specific attire, the frisking may take more time and therefore candidates should report at the venue of examination early.
11. अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल में बैग और निषिद्ध वस्तुएं न लाएं। यदि वे ऐसी कोई भी वस्तु लाते हैं, तो उन्हें ऐसी वस्तुओं की सुरक्षा के लिए स्वयं व्यवस्था करनी होगी।
Candidates are advised not to bring bags and prohibited items into the examination venue. In case they bring any such item, they would have to make their own arrangements for safe custody of such items. The Commission will not be liable to make any arrangement for safe custody of any such item.
12. रफ़ कार्प के लिए पेन और पेपर परीक्षा लैब में दिए जाएं।
Pen and paper for rough work would be provided in the examination lab.
13. सभी परीक्षा लैब्स वीडियो निगरानी के अधीन हैं।
All Exam Labs are under Video Surveillance.
14. अधिकारियों को दी गई कंप्यूटर स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉनिक घड़ी (टाइमर) उपलब्ध रहेगी।
Electronic watch (timer) will be available on the computer screen allotted to candidates.

अभ्यर्थियों के लिए सामान्य निर्देश /GENERAL INSTRUCTIONS FOR THE CANDIDATES

- 15.** अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं कर रहें हैं। अभ्यर्थियों को परीक्षा की पूरी अवधि के दौरान एक-दूसरे से बात भी नहीं करनी चाहिए।
Candidate should ensure that they do not indulge in any kind of unfair means. Candidates shall also not talk to each other during the complete period of examination.

16. अभ्यर्थी को हस्त चालित मेटल डिटेक्टर (एचएचएमडी) के माध्यम से तलाशी और साथ ही शारीरिक टैपिंग प्रक्रिया से गुजरना होगा।
Candidate shall have to undergo the process of frisking through Hand Held Metal Detector (HHMD) and also through body tapping

17. अभ्यर्थी को परीक्षा पदाधिकारियों (केन्द्र पर्यवेक्षक, निरीक्षक आदि) द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा।
Candidate must adhere to the instructions given by the examination functionaries (Center Supervisor, Invigilator, etc.).

18. अभ्यर्थियों को आयोग से संबंधित प्रवेशपत्र की प्रतिलिपि पर अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान (LTI), प्रवाहपूर्ण हस्तलेख (RUNNING HANDWRITING) में प्रमाणन व्यक्तव्य और हस्ताक्षर सुनिश्चित करना चाहिए।
Candidate should ensure that they provide clear Left Thumb Impression (LTI), Certification Statement in their running handwriting and signature on Commission's Copy of Admission Certificate.

19. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के आयोजन में बाधा उत्पन्न करता है या परीक्षा स्थल पर गडबड़ी करता है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। इस प्रकार का अभ्यर्थी आयोग की भावी परीक्षाओं से वंचित होने के लिए भी उत्तराधीय होगा और उसके खिलाफ कानूनी/आपाराधिक कार्यवाही शुरू की जा सकती है। आनंदिया जाए कि यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थियों के उकसाने के कारण परीक्षा में व्यवधान हुआ, तो परीक्षा दोबारा आयोजित नहीं की जाएगी।
If any candidate is found obstructing the conduct of the examination or creating disturbances at the examination venue, his/her candidature shall be summarily cancelled. Such candidate shall also be liable to be debarred from future examinations of the Commission and legal/criminal proceedings could be initiated against him/her. It may be noted that no re-examination would be conducted if it is found that the examination was disrupted on account of instigation by the candidates.

20. परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को टॉइलेट ब्रेक लेने की अनुमति नहीं होगी। यदि आवश्यक हो तो वे पर्यवेक्षक की अनुमति से परीक्षा शुरू होने से पहले शौचालय जा सकते हैं।
During the actual conduct of examination, candidates will not be allowed to take toilet breaks. With the permission of Invigilator, they may ensure to visit the toilet, if required, before the start of the examination.

21. यदि किसी तकनीकी खराबी के कारण या किसी अन्य कारण से परीक्षा निर्धारित समय पर शुरू नहीं होती है या बीच में बाधित होती है, तो अभ्यर्थियों को परीक्षा अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना चाहिए। समस्या का समाधान होने तक उन्हें धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। यदि परीक्षा पूरी नहीं होती है तो आयोग उक्त मामले में उचित कार्रवाई करेगा व निर्णय लेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा एवं अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी होगा।
If the examination does not commence at the scheduled time or is interrupted midway due to any technical snag or for any other reason, candidates should follow the instructions of the exam functionaries. They may have to wait patiently till the issue is suitably addressed and resolved. The Commission would take an appropriate action and decision in the matter which would be final and would be binding on candidates in case the exam could not be completed.

22. अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया जाता है कि किसी भी कारण से परीक्षा में व्यवधान, जैसे-गप्टीर/मामलौ तकनीकी बाधा या सर्वर की शीमी गति/ सर्वर का संपर्क न रहना आदि की स्थिति में उनके परीक्षा के समय की किसी प्रकार की हानि नहीं होगी, जिसके बावजूद हकदार हैं।
Candidates are assured that in case of disruption of examination for any reason such as major/minor technical snag or slow speed of server/breakdown of server etc, they will not, under any circumstances, lose the examination time to which they are entitled.

23. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि यदि उन्हें परीक्षा के दौरान कोई अनियमितता दिखाई देती है तो वे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/ आयोग को इसकी सूचना दें। ऐसे अभ्यर्थियों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
Candidates are advised to report to the concerned Regional Office of Commission, in case they notice any irregularity during conduct of examination. The identity of such candidates will be kept confidential.

24. यदि कोई अभ्यर्थी नशे की हालत में पाया जाता है तो उसे परीक्षा स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
If any candidate is found in inebriated state that candidate will not be allowed entry to the venue.

25. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि किसी भी संदेह या स्पष्टीकरण के मामले में वे आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से व्यक्तिगत रूप से या प्रवेश-पत्र में दर्शाए गए हेल्पलाइन नंबरों के माध्यम से संपर्क करें।
In case of any doubt or clarification, the candidates are advised to contact the concerned Regional Office of the Commission personally or through the Helpline Numbers as indicated in the Admission Certificate.